संं0-3/4340/सैंतीस-2-2013-1(22)/10टी0सी0-।।

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-02 दिसम्बर, 2013

विषयः- **रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम (100 प्रति के.पो.) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-57/सात-3/रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री/13-14, दिनांक-13.06.13 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-2270/सैंतीस-2-2013-1(22)/10 टी0सी0-। दिनांक-02.07.13 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-आयोजनागत-103-कुक्कुट विकास-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0105-रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना (100 प्रति.के.पो.)' के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि में से अवशेष रू0-289.045 लाख के सापेक्ष रू0-84.8475 लाख (रूपये चौरासी लाख चौरासी हजार सात सौ पचास मात्र) की स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत अनुमोदित मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राप्त केन्द्रांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दि0-28.03.13 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.94 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैण्डबुक तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा।

4- धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता संबंधी सुसंगत शासनादेशों एवं उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली का यथावश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात/कार्यरत वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित शर्तों में विचलन की दशा में वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि वह मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त प्रशासनिक विभाग/वित्त विभाग को उपलब्ध कराये।

6- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक- ''2403-पशुपालन-आयोजनागत-103-कुक्कुट विकास-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0105-रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट योजना (के.100/रा.0-के.)-27-सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-1685/दस-16/1992, दि0-07.07.92 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक-28.03.13 द्वारा प्रशासनिक विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**योगेश कुमार**)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-3/4340(1)/सैंतीस-2-2013-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सहायक निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (एपीएफ)/संयुक्त आयुक्त (पोल्ट्री), कृषि मंत्रालय, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. अनुसचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
9. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**अमर सेन सिंह**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in